

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 69/2018

बउनवान

शयोपाल पुत्र श्री देवीलाल जाति—मीणा आयु 60 वर्ष निवासी—भटवाडा
तहसील—मॉंगरोल जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉंगरोल

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)



निर्णय दिनांक – 27.03.2019

1— अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—भटवाडा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल से बेदखली, जप्ती, नीलामी, 320/—रूपये अर्थदण्ड एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2— अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जर्ये सम्मन भिजाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया



सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर

Web Copy - Not Official

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5- इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 68/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7- परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 49/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, मॉंगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अप्ण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, मॉंगरोल कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजाजत से लिखाया जाकर सुनाया गया।



(इन्द्र सिंह राव)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बाण
जिला कलेक्टर
Web Copy - Not Official